# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद (मु0) सीकर

पीठासीन अधिकारी – राम सिंह राजावत (आर0ए0एस)

आवेदन अन्तर्गत धारा **251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955**

प्रकरण संख्या 109/2014

सोहनी पुत्री श्यामाराम जाति जाट निवासी काजलों की ढ़ाणी तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थीया

बनाम

1. विधाधर
2. नेमीचन्द
3. महावीर
4. सांवरमल
5. रणजीत पुत्रगण परतुराम जाति जाट निवासी काजलों की ढ़ाणी तहसील धोद
6. फूलचन्द पुत्र हरदेवा
7. नाराणी पत्नि स्व0 तने सिंह
8. राजेन्द्र सिंह
9. सुरेन्द्र सिंह
10. वीरेन्द्र सिंह
11. वेदप्रकाश पुत्रगण स्व0 तने सिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण काजलों की ढ़ाणी तहसील धोद जिला सीकर

12. रूकमा पुत्री श्यामा जाति जाट निवासी काजलों की ढ़ाणी तहसील धोद जिला सीकर
13. राजस्थान ग्रामीण शेखावाटी बैंक कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर जरिए प्रबन्धक
14. राजस्थान ग्रामीण शेखावाटी बैंक कूदन तहसील धोद जिला सीकर जरिए प्रबन्धक

–अप्रर्थीगण ––

**आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955**

उपस्थित वकील प्रार्थीया – श्री गंगाधर भूरिया, श्री जसवन्त भूरिया

वकील अप्रार्थीगण – श्री श्रवण कुमार फगेड़िया

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

# निर्णय

दिनांक : 17.5.2017

प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट,1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी ख0नं0 60 रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम काजलो की ढ़ाणी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित हैं जो प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि है। यह कि आराजी ख. नं. 56 अवस्थित वाके ग्राम काजलों की ढाणी अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है तथा ख0नं0 57 व ख0नं0 58 अवस्थित वाके ग्राम काजलों की ढाणी अप्रार्थीगण सं. 6 ता 11 के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें आधा हिस्सा अप्रार्थी सं. 6 तथा शेष आधा हिस्सा अप्रार्थी सं. 7 ता 11 के हक हिस्से का है एवं भूमि ख0नं0 59 रकबा 1.18 है0 अप्रार्थी सं0 12 के कब्जे काश्त व हक अधिकार की है।

यह कि प्रार्थिया की कृषि भूमि ख0नं0 60 में सदैव से आवागमन करने की एकमात्र पगडण्डी ख0नं0 56 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे ख0नं0 57 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में प्रवेश करके ख0नं0 57,58,59 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे होकर ,ा0नं0 60 प्रार्थीनी के खेत के उत्तरी पश्चिमी कोने में प्रविष्ट होकर मौके पर मौजूद है। वर्तमान में सिंचाई कार्य आदि हेतु ट्रेक्टर ट्रॉली आने जाने हेतु एकमात्र इस पगडण्डी को 12 फीट चौड़ा रास्ता विस्तारित करवाने की आत्यान्तिक आवश्यकता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीनी के खेत ख0नं0 60 के अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ते की चौड़ाई को 12 फीट विस्तारित करने में अप्रार्थीगण सहमत नही होने से आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः आराजी ख0नं0 60 वाके ग्राम काजलो की ढ़ाणी तहसील धोद जिला सीकर में आवागमन करने के लिए पूर्व से चली आ रही पगडण्डी की चौड़ाई 12 फीट विस्तारित करके संलग्न नक्शें में दर्शित क से ख दिलवाया जाकर रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 12 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार फगेड़िया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी सं0 13,14 बावजूद तलबी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार,धोद की जरिए तहरीर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल मिसल की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 12 के अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत नही कर तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निर्णय करने पर सहमति व्यक्त की गई।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार धोद ग्राम काजलों की ढ़ाणी में मौके पर ख0नं0 55 की पूर्वी सीमा के सहारे प्रचलित रास्ता है। ख0नं0 56 के खातेदार विधाधर नेमीचन्द, महावीर, सांवरमल, रणजीत पुत्रगण परतुराम जाति जाट सा0देह के नाम से खातेदारी दर्ज है। ख0नं0 57 के खातेदार फूलचन्द पुत्र हरदेवा हि0 1/2 राजेन्द्र,

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

सुरेन्द्र, विरेन्द्र, वेदप्रकाश पि. तने सिंह, नारायणी पत्नि स्व0 तने सिंह हि. वहि 1/2 है व ख0नं0 58 के खातेदार भी उपरोक्तानुसार है। ख0नं0 59 की खातेदार रूकमा पुत्री श्यामाराम जाति जाट सा0देह दर्ज है। ख0नं0 55 व 57 से 60 तक के खातेदारों की भूमि बैंक रहन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ख0नं0 56 विन रहन है तथा उक्त आराजी की भूमियों पर किसी न्यायालय का स्थगन नही है। ख0नं0 56 में मौके पर रास्ता चालू है। मौके पर उपस्थित खातेदारान से पूछताछ करने पर बताया गया कि उपरोक्त आराजियात में नवीन रास्ता बनाना चाहते है। सभी काश्तकारों की आपस में सहमति है। जिसमें एक काश्तकार नेमीचन्द सहमत नही है। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की कृषि भुमि में आवागमन हेतु प्रचलित रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने की प्रार्थीया को आत्यांतिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवोकन किया गया । अतः आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाता है व ग्राम काजलो की ढ़ाणी तहसील धोद जिला सीकर में तहसीलदार धोद की रिपोर्ट अनुसार खसरा न0 56 में से ल0Xचौ0 106X4 = 424 वर्गमीटर दक्षिणी दिशा, ख0नं0 57 में से 64X4 = 256 वर्गमीटर पश्चिमी दिशा, ख0नं0 58 में से 64X4 = 256 वर्गमीटर पश्चिमी दिशा एवं ख0नं0 59 में से 87X4 348 वर्गमीटर पश्चिमी दिशा क्षैत्रफल का रास्ता तहसील रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शें में बरंग सुर्ख अंकित अनुसार ग्राम काजलो की ढ़ाणी तहसील धोद जिला सीकर में आवागमन हेतु दिये जाने तथा प्रार्थीया को निर्वापित भुमि की डी.एल.सी.दर के अनुसार दुगुनी राशि अदा करने का आदेश दिया जाता है । निर्वापित की गई भूमि के खसरा नम्बर के अलग से बटा नम्बर डालकर रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.5.2017को लोक अदालत में सुनाया गया।

(राम सिंह आजाद)
उपखण्ड अधिकारी, धोद

उपखण्ड अधिकारी
धोद (सीकर)

Scanned by CamScanner